3

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

अपील 675-PBR-15

प्र.क्र. /2014

1. सुरेश पुत्र स्व. बृजलाल
2. फूलसिंह पुत्र स्व. बृजलाल
3. जमना पुत्र स्व. बृजलाल
4. बसंता पुत्री स्व.बृजलाल
5. सत्वो पुत्री स्व. बृजलाल
6. श्रीमति हरबोबाई पत्नी स्व. बृजलाल

समस्त निवासीगण- ग्राम देहरी कलॉ,
तहसील हुजूर जिला भोपाल .... अपीलार्थीगण

विरूद्ध

शासन व्दारा जिला कलेक्टर भोपाल .... उत्तरदाता

अपील अंतर्गत धारा 44 (1) म. प्र. भू राजस्व संहिता 1959

[redacted] माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग भोपाल के प्र.क्र. 328/अपील/2013-14 मे पारित आदेश दिनांक 23.02.2015 से व्यथित यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष समयअवधि में प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

यह कि अपीलार्थीगण सुरेश, फूलसिंह, जमनाप्रसाद पुत्रगण स्व0 बृजलाल, सत्वोबाई एवं बसंता बाई पुत्रीगण स्व. बृजलाल एवं श्रीमति हरबोबाई पत्नी स्व. बृजलाल समस्त निवासीगण ग्राम देहरी कलॉ प.ह.नं.38 रा.नि.मं. 3 तह.हुजूर जिला भोपाल ने अपने संयुक्त स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि ख.क्र. 153/1/2 रकबा 1.000 हेक्टर जो ग्राम देहरी कलॉ तहसील हुंजूर जिला भोपाल मे स्थित है। उक्त भूमि अपीलार्थीगण के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है तथा शासन व्दारा [redacted] भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका क्र. एल 45085 प्रदाय की गयी है।

यह कि अपीलार्थीगणो के पिता एवं पति स्व. बृजलाल आ. श्री बटटूलाल के जीवनकाल मे उक्त भूमि म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय आदेश क्र. एफ 4/7/2000सात /2ए दिनांक 19/09/2000 के परिपालन मे ग्राम देहरीकला प.ह.नं. 28 तहसील हुजूर जिला भोपाल अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति के सदस्य होने के कारण शासन व्दारा 1.000 हेक्टर भूमि आवंटित की थी। उनकी मृत्यु उपरांत उक्त भूमि अपीलार्थीगणो के नाम से हो गयी। वर्तमान मे राजस्व अभिलेखो से अपीलार्थीगणो का नाम अंकित है तथा उन्हे भूमि अधिकार प्रदाय किये जा चुके है।

यह कि अपीलार्थीगण के स्वयं के भी परिवार है। उक्त भूमि में अपने परिवार को भरणपौषण करना संभव नही है। क्योकि प्रत्येक अपीलार्थी अगर अलग अलग हिस्से की मांग करता है तो उसे 0.41 डेसीमल भूमि हिस्से में आयेगी जिस पर निर्भर होते हुए वह अपने परिवार का भरणपौषण वर्तमान परिस्थितियो मे नही कर सकता। इस कारण सभी अपीलार्थीगण व्दारा एकमत होकर एक आवेदनपत्र माननीय अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टरभोपाल के न्यायालय मे शासकीय पटटे की भूमि को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जिसमे सभी सदस्यो व्दारा हस्ताक्षर किये गये एवं उक्त भूमि के बदले श्रीमति कृष्णााबाई पत्नी स्व. नन्नूलाल,

A 675-MR/15 [illegible]

27-4-2016	आवेदकगण की ओर से सूचना उपरान्त कोई भी उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं आता, प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

[signature]

[signature]
अध्यक्ष

[कृ. प. उ.